न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर. ए. एस.)

प्रकरण सख्या– 60/2019 प्रा.पत्र
दायर दिनांक– 17/07/2019
निर्णय दिनांक– 21/01/2021

अनवान

1. अहमद नूर पिता मोहम्मद कासिम छीपा निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
2. एहसान अहमद पिता मोहम्मद कासिम छीपा निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
2. कमला देवी पति घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
3. गायत्री पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
4. सावित्री पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
5. सीमा पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
6. दुर्गा पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
7. भूमिधारी तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता_प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा, में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 3455 क्षैत्रफल 02 बीघा, खसरा नम्बर 3456 रकबा 02 बीघा 02 बीस्वा, खसरा नम्बर 3460 क्षैत्रफल 04 बीघा 06 बीस्वा एवं खसरा नम्बर 3461 क्षैत्रफल 04 बीघा 03 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम स्थित है जो संलग्न नक्शे में A to B से प्रदर्श की गई है। अप्रार्थीगण की ग्राम गिलुण्ड में भूमि खसरा नम्बर 3457 क्षैत्रफल 04 बीघा 13 बीस्वा, खसरा नम्बर 3458 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 3459 क्षैत्रफल 05 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम स्थित है जो संलग्न नक्शे में C to D से प्रदर्श की गई है। आराजी खसरा संख्या 3416 क्षैत्रफल

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा।

04 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता दर्ज है जो संलग्न नक्शे में E to F से प्रदर्श किया गया है। प्रार्थीगण स्वयं के खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य एवं उत्पादन पैदावार को बैलगाड़ी से लगभग 100 वर्षों से खसरा संख्या 3457 की मेड से जिसे संलग्न नक्शे में G to H से प्रदर्श की गई है लाते ले जाते रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने नीलगायों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए खसरा संख्या 3457, 3458 एवं 3459 के चारों तरफ तार लगा कर फेन्सिग कर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी पर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों पर न तो आ जा पा रहे है और न ही कृषि कार्य ही कर पर रहे है इससे प्रार्थीगण को आर्थिक हानि हो रही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उनकी भूमि खसरा नम्बर 3457 जिसकी पाली(मेड) से प्रार्थीगण आते जाते थे, रास्ता देने के लिए दिनांक 25.06.2018 एवं पुनः प्रिय व्यक्ति है। वे किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहते है, इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कीमतन क्स्ट रेट पर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 3455 तक जाने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता देने का प्रस्ताव भी दिया परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और वे प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने में आमदा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास न्यायालय से रास्ता देने का आग्रह करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। अन्य आपत्ति वक्त बहस निवेदन की जावेगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3457 में दर्शाइये G to H से 10 फीट का चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 3455 पर पहुंचने के लिए DLC रेट पर दिलाया जावे जिसका भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर बावजुद सुचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपल्ब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम लड़पचा के प्रार्थी की आराजी सख्या 3455, 3456, 3460, 3461 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी सख्या 3457 के पाली सहारे 02 गढ़ा चौडा एवं लम्बाई 50 गढ़ा अर्थात् 00–05 बीघा भुमि (तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते) को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से उक्त रास्ते

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा